Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

आदेश

विभाग के आदेश पृ0 कमांक LM-2025/13536, दिनांक 05.09.2025 द्वारा श्री मनोज कुमार, हस्त सहायक का स्थानान्तरण नारनौल से चरखी दादरी जिले में किया गया था। कर्मचारी ने इन स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल याचिका संख्या 27757/2025 दायर की थी, जोकि दिनांक 11.12.2025 को खारिज हो चुकी है।

कर्मचारी द्वारा दायर उक्त सिविल याचिका खारिज हो जाने उपरान्त भी कर्मचारी ने चरखी दादरी जिले में कार्यग्रहण न किए जाने के कारण उसे मुख्यालय के आदेश पृ0 कमांक 1830, दिनांक 03.02.2026 द्वारा सेवा से निलम्बित करते हुए उसका मुख्यालय चरखी दादरी जिले में नियत किया गया था, जिस सन्दर्भ में कर्मचारी ने चरखी दादरी जिले में दिनांक 06.04.2026 को अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कर्मचारी ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2025 के विरूद्ध LPA No. 485 of 2026 दायर की थी, जिसमें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को पारित किये गये। उक्त आदेश का Operative Part निम्न प्रकार से है:-

"8 Considering the fact that the appellant has been posted at Narnaul for 13 years, we deem it appropriate to direct the respondents to reconsider the transfer of the appellant to any other place which has a higher medical center. PGIMS, Rohtak is one such place and therefore, the respondents would be at liberty to pass a fresh order of transfer in respect of appellant's posting in an area which is within 15 to 21 kms to a higher medical center so that in the event of any medical exigency, he may avail of appropriate medical assistance.

9. We also clarify that is would be open for the respondents to reconsider the question of transfer of the appellant after a year, depending upon the fresh medical inputs, which may be obtained from the concerned authority. We also provide that in the event the appellant joins at such fresh place of transfer, he shall be at liberty to approach the authority concerned for recall of the order of suspension, on which appropriate orders shall be passed within further period of 10 days.

10. The Letters Patent Appeal is accordingly disposed of.

11. Pending applications(s), if any, stand disposed of."

यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के सन्दर्भ में कर्मचारी द्वारा दिनांक 13.04.2026 को दिये गये प्रतिवेदन को विचारने उपरान्त इस विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2026 को जारी किये गये कर्मचारी के निलम्बन आदेशों में संशोधन करते हुए उसका मुख्यालय चरखी दादरी जिले की बजाए रोहतक जिले में नियत किया जाना तर्कसंगत होगा।

तदानुसार ऐसे आदेश पारित किये जाते हैं।

18/5/26

दिनांक चण्डीगढ़

(अंशज सिंह, आई.ए.एस.)
महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, (नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान) हरियाणा।

Contd----- P/2

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

पृ0 कमांक LM/420/2026/7532 दिनांक, चण्डीगढ़ 19/05/2026

(14)

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. महाधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
2. उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, हरियाणा, एस.डी.ओ. काम्पलैक्स, द्वितीय तल, अम्बाला छावनी।
3. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, चरखी दादरी एवं रोहतक।
4. सहायक नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार व रोहतक।
5. निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, चरखी दादरी/रोहतक।
6. श्री मनोज कुमार, हस्त सहायक मार्फत निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, चरखी दादरी।
7. उप-जिला न्यायवादी, मुख्यालय।
8. निजि सचिव/महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।
9. श्रीमति शिखा, जूनियर प्रोग्रामर (निरीक्षक विधिक माप विज्ञान संगठन की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतू)।

Jaspal 18/5/26

उप अधीक्षक (विधिक माप विज्ञान)

कृते: महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, (नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान) हरियाणा।